न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 10/2014

प्रार्थीगण –

1. पूनमाराम पुत्र कालूराम
2. अमराराम पुत्र कालूराम
3. चौथाराम पुत्र कालूराम
   जाति गाडोलिया लौहार
   निवासी भीलों की ढ़ाणी
   (बारासण) तहसील गुडामालानी
   जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. श्रीमती सुआ पत्नी राणाराम
   जाति गाडोलेया लौहार निवासी
   बारासण
2. सुखराम पुत्र भीयाराम
   जाति बिश्नोई निवासी बारासण
   तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
3. सरपंच ग्राम पंचायत बारासण
4. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम
   पंचायत बारासण

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 11 दिनांक 20.09.2004 जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत बारासण द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री जगदीश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.04.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 3 ग्राम पंचायत बारासण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम बारासण में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का आवासीय पट्टा विलेख सं. 11 दिनांक 20.09.2004 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1335 वर्गफीट दर्शाया गया। ग्राम पंचायत बारासण द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बारासण का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बारासण द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 1 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा है तथा उपरोक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का पीढ़ियों से कब्जा एवं रहवास है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता के रजिस्टर्डशुदा भूखण्ड पर अवैध कब्जा कर पट्टा प्राप्त कर तुरंत ही अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान किया जाना संदेहप्रद है। वर्तमान में वादग्रस्त भूखण्ड पर तीनों प्रार्थी भाइयों का बराबर का कब्जा है और अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। अप्रार्थीनी संख्या 1 ग्राम बारासण में नहीं रहती है। उसका पति राणाराम फौत हो चुका है तथा सुआ देवी का बारासण ग्राम में कोई परिवार नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत बारासण ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विवादित भूखण्ड के आधिपत्य एवं स्वामित्व की सही स्थिति की जानकारी प्राप्त किये बिना ही अप्रार्थीनी संख्या 1 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी किया। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आलौच्य पट्टा नियमों के विरूद्ध जाकर कपटपूर्ण तरीके से जारी किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested

4. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय निस्तारित किया गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं निगरानी प्रार्थना–पत्र में प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत बारासण द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूखण्ड निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्यशुदा है तथा उपरोक्त भूखण्ड पर निगरानीकर्ता का पीढ़ियों से कब्जा एवं रहवास है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता के रजिस्टर्डशुदा भूखण्ड पर अवैध कब्जा कर पट्टा प्राप्त कर तुरंत ही अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान किया जाना संदेहप्रद है। वर्तमान में वादग्रस्त भूखण्ड पर तीनों प्रार्थी भाइयों का बराबर का कब्जा है और अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थीनी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अपूर्ण था जिसमें आवेदित भूखण्ड के पडौस का विवरण अंकित नहीं किया गया है। धारा 148 के तहत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का नोटिस भी रिक्त है तथा उक्त नोटिस में मोतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है और न ही भूमि का विवरण अंकित किया गया है। मौका निरीक्षण कमेटी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट पर केवल हस्ताक्षर अंकित किये हैं। मौका निरीक्षण किस तिथि को किया गया एवं मौके पर कब्जे की वस्तुस्थिति का कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियम 146 से 148 की पालना नहीं करने से आलौच्य पट्टा जारी करने में पूर्णतया अवैधता एवं अनियमितता बरती गई है, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में विहित अनियमितता एवं अवैधता के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 3 सरपंच ग्राम पंचायत बारासण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 11 दिनांक 20.09.2004 को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.05.02 10:39:36 IST
Reason: SelfAttested